



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक आज दिनांक 05.11.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेज बहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अवैध जुआ/शराब हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना महोबकंठ प्र०नि० श्रीमती रीता सिंह द्वारा उ.नि. सूरज प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम ने 05 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.राम औतार पुत्र हद्दू उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम पतनौड़ी थाना राठ जिला हमीरपुर 2.प्रमोद पुत्र भागीरथ उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम मगरौल कला थाना कुलपहाड़ जिला महोबा 3.मनमोहन पुत्र गुन्दा रैकवार उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम पतनौड़ी थाना राठ जिला हमीरपुर 4. दिलीप पुत्र महेन्द्र राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम पचारा थाना महोबकंठ 5 .हरीकिशन पुत्र परमानन्द उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम अमानपुरा थाना महोबकंठ जिला महोबा को ग्राम पचारा के पास से जरिये ताश पत्ता सार्वजनिक स्थान पर हारजीत की बाजी लगाकर जुआँ खेलते हुआ पकडा गया जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 152/21 धारा 13 जुआँ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ.नि. श्री सूरज प्रसाद
2. कां.सौरभ 3. कां. प्रवीण कुमार 4.का० भरत

बरामदगी- मालफड़- 4500 रु०/- व जामातलाशी-1500 रु०/-





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



यातायात पुलिस महोबा द्वारा वाहनो में लगाये गये निःशुल्क रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप ।

आज दिनांक **05.11.2021** को यातायात माह के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में यातायात प्रभारी निरीक्षक श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह व यातायात टीम द्वारा जनपद महोबा के प्रमुख स्थानों, चौराहों व टेम्पो स्टैण्ड पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव / रिफ्लेक्टिव सीटों और टेपों बारे में आमजनमानस को जागरुक किया गया व ऐसे वाहन जिनमें रेट्रो-रिफ्लेक्टर नहीं लगे थे जैसे ट्रैक्टर ट्राली, ई- रिक्शा, ऑटो, टेंपो, पिकअप, क्रूजर, कार इत्यादि में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप निःशुल्क लगाए गए, जिसमें से यातायात पुलिस महोबा द्वारा रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप **105** वाहनो में चस्पा किये गये, साथ ही साथ यातायात नियमों के बारे में आम जनमानस को विस्तार से बताया/समझाया गया कि सीट बेल्ट, दो पहिया वहनो पर हेलमेट लगाकर चलें तथा वाहन चलाते समय मोबाइल/ईयरफोन का प्रयोग न करने व नशे की हलात में वाहन ना चलायें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा गोर्वधन पूजा के अवसर पर महोबा शहर की यातायात व्यवस्था को दुरस्त रखते हुए अभियान के तहत राजमार्गो पर किनारें स्थित ढाबो, होटलों पर खड़े ट्रक चालकों को मदिरा/मादक द्रव्यों का सेवन करके वाहन न चलाये जाने के बारे में जागरुक किया गया साथ ही मदिरा/मादक द्रव्यों का सेवन किये हुये चालकों के विरुद्ध चार पहिया वाहनो व दो पहिया वाहनो की सघन चेकिंग के दौरान **54** वाहन के ई-चालान की कार्यवाही की गयी ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 04.11.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों की चेकिंग / गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह द्वारा उ०नि० महेन्द्र सिंह तोमर के नेतृत्व में गठित टीम ने अभियान में शामिल होकर मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र अन्तर्गत बाँदा तिराहे के पास से अभियुक्त राकेश कपरिया पुत्र फुल्लू कपरिया उम्र 35 वर्ष नि० मु० लौडापहाड मोचीपुरा कस्बा व थाना कबरई जिला महोबा को हिरासत पुलिस में लेते हुये जामा तलाशी ली गई तो अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ, बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 309/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया बाद आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राकेश कपरिया पुत्र फुल्लू कपरिया उम्र 35 वर्ष नि० मु० लौडापहाड मोचीपुरा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० महेन्द्र सिंह तोमर
2. हे०का० वसीम अहमद
3. का० सुभम जायसवाल
4. हे०का० राजेश कुमार



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कबरई पुलिस टीम ने ताश के पत्तों से हार-जीत की बाजी लगा रहे 04 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 05/11/2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध जुआ शराब की रोकथाम एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, थानाध्यक्ष कबरई दिनेश सिंह के द्वारा गठित टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हारजीत की बाजी लगा कर ताशपत्तों से जुआ खेल रहे अभिगण 1.राम नारायन पुत्र श्रीपाल सिंह कुशवाहा उम्र 21 वर्ष 2. शिव सिंह पुत्र देवी दयाल सिंह उम्र करीब 19 वर्ष 3. सुखदेव पुत्र स्व० श्रीगुरुचरन कुशवाहा उम्र करीब 19 वर्ष 4. आदित्य पुत्र राजेश गुप्ता उम्र करीब 19 वर्ष समस्त निवासी गण किदवई नगर कस्बा व थाना

कबरई महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गणों के कब्जे से **जामा तलाशी 680 रुपये व माल फड 5810 रुपये, 52 अदद ताशपत्ते बरामद हुए** जिसके संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाजा पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए **मु०अ०सं०310/21 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत** किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.राम नारायन पुत्र श्रीपाल सिंह कुशवाहा उम्र 21 वर्ष 2.शिव सिंह पुत्र देवी दयाल सिंह उम्र करीब 19 वर्ष 3. सुखदेव पुत्र स्व० श्रीगुरुचरन कुशवाहा उम्र करीब 19 वर्ष 4. आदित्य पुत्र राजेश गुप्ता उम्र करीब 19 वर्ष समस्त निवासी किदवई नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री महेन्द्र सिंह तोमर
2. का० लव कुमार
3. का० धर्मेन्द्र यादव



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.11.2021

महोबा पुलिस



मीडिया सेल, महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा महोबा शहर में त्योहारों के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु शहर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में भारी पुलिसबल के साथ भ्रमण किया गया



आज दिनांक 05.11.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम के साथ महोबा शहर में त्योहारों के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु शहर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में भारी पुलिसबल के साथ भ्रमण किया गया तथा आम जनमानस को सुरक्षा का अहसास दिलाया गया, आतिशबाजी/पटाखों की दुकानों का निरीक्षण कर लाइसेंस आदि कागजात की चेकिंग की गई, दुकानदारों को पटाखों से होने वाली दुर्घटना से बचाव हेतु सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए एवं जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध

वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर 80 ई-चालान किये गये।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



Mahoba Police